



राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम-मिनिरल कम्पनी)

NATIONAL SEEDS CORPORATION LTD.

(A Govt. of India Undertaking- Miniratna Co.)

CIN: U74899DL1963GOI003913

ISO Certificate NO. 9001:2008 & 14001:2004

केन्द्रीय राज्य फार्म, जैतसर :: जिला श्रीगंगानगर (राज.)

रजिस्टर्ड कार्यालय:- बीज भवन, पूसा परिसर, नई दिल्ली-110012

पत्रांक: के.रा.फा./जैत./13-21/उद्यान/2021-22/

दिनांक: 01.07.2021

अल्पकालीन निविदा सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) में 25000 नं. वानिकी पौधों का पौधा रोपण का कार्य (थाला बनाना, पानी डालना, देखरेख संबंधित कार्य को करना इत्यादि।) फार्म के खण्ड एक, दो व तीन में किया जाना है। जिसके लिए पौधे फार्म पौधशाला से मिलेंगे। (पौधों की संख्या को घटाया बढ़ाया जा सकता है।) उपलब्ध पौधे लगाने के लिए इच्छुक ठेकेदार से सीलबन्द निविदायें निदेशक केन्द्रीय राज्य फार्म-जैतसर, जिला श्रीगंगानगर(राज.) के नाम से **दिनांक: 19.07.2021 को दोपहर 2.00 बजे** तक आमंत्रित की जाती है, निविदा प्रपत्र का विक्रय **12.30 बजे** तक किया जाएगा। जो उसी दिन दोपहर 2.30 बजे उपस्थित निविदाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा में भाग लेने के लिए प्रति खंड रुपये 10,000/(दस हजार रुपये मात्र) बैंक डिमान्ड-ड्राफ्ट/NEFT /RTGS, जो कि नेशनल सीड्स कारपोरेशन लिमिटेड, जैतसर के पक्ष में भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251, खाता संख्या: 3396 3396 672) पर देय हो, धरोहर राशि के रूप में निविदा के साथ जमा/संलग्न करना होगा। जिसे कार्य के संतोषजनक ढंग से पूरा होने पर, बिना ब्याज के लौटा दिया जायेगा तथा असफल निविदादाता की राशि निगम के खाते में जमा होने के बाद NEFT/RTGS के माध्यम से लौटा दी जाएगी। निविदा संबंधी जानकारी तथा नियम व शर्तें किसी भी कार्यदिवस में फार्म कार्यालय से ली जा सकती है व निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर भी देखी जा सकती है। निविदा प्रपत्र अखरे रुपये 236.00/- (Tander fee 200 + 18% GST)/NEFT/RTGS, के माध्यम से जमा करवा व पहचान पत्र की फोटो प्रति जमा करवा कर कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

प्रबंधक (उत्पादन)
कृते निदेशक

निविदा प्रपत्र

सेवा में,

श्रीमान् निदेशक
केन्द्रीय राज्य फार्म
जैतसर।

महोदय,

निविदा सूचना पत्रांक: के.रा.फा./जैत./13-21/उद्यान/2021-22/दिनांक: 01.07.2021 के संदर्भ में फार्म के खण्ड- एक, दो व तीन में पौधा रोपण का कार्य निम्नानुसार करने का इच्छुक हूँ। जिसके लिए निर्धारित नियम-शर्तों को पढ लिया एवं समझ लिया है। इस संदर्भ में जो निर्धारित नियम-शर्त है वह मुझे मान्य है। मैं अपनी प्रस्तावित दरे निम्नानुसार दे रहा हूँ-

क्र.सं.	कार्य का विवरण	कुल पौधा सं- 25000 खंड नं.- एक ,दो ,तीन	दर रुपये प्रति पौधा लूंगा
1.	फार्म की पौधशाला से पौधे उखाड़ना, लादना व उतारना, स्वयं के साधन से पौधे लगाने वाली जगह पर ले जाना व सम्बन्धित खण्ड प्रभारी/चक प्रभारी द्वारा बताये गये स्थान पर स्वयं के साधन, मजदूरों द्वारा लगाना आवश्यकतानुसार पानी लगाना, देखरेख करना, उपलब्ध दवा का प्रयोग स्वयं के साधन द्वारा करना इत्यादि।	खंड नं- एक 8000 पौधा	
		खंड नं- दो 8000 पौधा	
		खंड नं- तीन 9000 पौधा	

हस्ताक्षर.....
नाम.....
स्थायी पता.....
.....
मो0 नं0

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम—मिनिरत्न कम्पनी)
केन्द्रीय राज्य फार्म जैतसर –335702
जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

फार्म में पौधे रोपण की नियम व शर्तें—

1. निविदा में भाग लेने के लिए निविदा के साथ आधार कार्ड, पेन कार्ड एवम् बैंक डायरी की स्पष्ट छायाप्रति सलग्न करना अनिवार्य है। तथा पत्र व्यवहार का पूर्ण स्थाई पता लिखित रूप में दिया जाना है। यदि निविदादाता या ठेकेदार कोई साझीदारी फर्म है तो उक्त कागजात साझेदारों से सम्बन्धित हों। वह भी सलग्न किये जाने हैं।
2. निविदा दाता को फार्म के तीनों खण्डों में 25000/- पौधे लगाने के लिए धरोहर राशि, प्रति खंड 10,000/- रुपये का डिमांड ड्राफ्ट के रूप में जो कि "राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड", जैतसर के नाम से भारतीय स्टेट बैंक, बाजूवाला (IFSC कोड नम्बर SBIN0008251), पर देय हो जमा/सलग्न करानी होगी, अथवा NEFT/RTGS के माध्यम से जमा करनी होगी।
3. बिना धरोहर राशि के निविदादाता की निविदा निरस्त कर दी जाएगी। असफल निविदा दाता की धरोहर राशि उसके खाते में NEFT/RTGS के माध्यम से बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी एवं सफल निविदा दाता की धरोहर राशि कार्य संतोषजनक व पूर्ण होने पर लौटाई जाएगी। उक्त कार्य हेतु जमा धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं हागा।
4. सफल निविदा दाता को फार्म के नाले-खाले, बट व माइनर के साथ, फार्म बाउंड्री पर चक प्रभारी / खंड प्रभारी द्वारा निर्देशित स्थानों पर 1X1X1 फीट के गड्ढे खोदकर, गड्ढों को भरकर पौधे लगाना, पौधे से पौधे की दूरी 5 फीट होनी चाहिए, थाला बनाना कम से कम एक बार में 8-10 लीटर पानी डालना व उनकी देख-रेख 90 दिन के बाद गिनती करवाकर सपूर्द करने तक करनी होगी, इस अवधि के दौरान एक सप्ताह के अंतराल पर पानी देना व पौधों की देखभाल करने का कार्य करना होगा।
5. ठेकेदार को स्वयं सभी औजार जैसे— पौधे ढोने के लिए वाहन, कस्सी, टैंकर इत्यादि लाने होंगे, फार्म विशिष्ट संतति उद्यान/नर्सरी से पौधे उपलब्ध करवायेगा, जिसे ठेकेदार अपने श्रमिकों द्वारा क्यारियों से निकलवायेगा तथा अपने स्तर पर लोड कर रोपण के स्थान तक ले जाएगा। थैली को नीचे से फाड़कर ही पौधों का रोपण करना होगा। यह सुनिश्चित करें कि पिण्डी खराब नहीं होनी चाहिए।
6. खण्ड में खण्ड प्रभारी व चक प्रभारी की देख-रेख में यह कार्य करना होगा। कार्य आदेश मिलने के बाद 60 दिन तक कार्य पूरा करना होगा। बिल का भुगतान चक प्रभारी / खंड प्रभारी द्वारा पौधा रोपण के 90 दिन बाद पौधों की गिनती करके किया जावेगा। गिनती के समय जीवित पाए गए पौधों का ही भुगतान किया जाएगा। गिनती के समय ठेकेदार स्वयं वहां उपस्थित होगा। ठेकेदार श्रमिकों का भुगतान स्वयं करेगा। कार्य करते समय अगर कोई जान-माल की हानि होती है तो ठेकेदार स्वयं जिम्मेदार होगा।
7. पौधारोपण किए जाने वाले पौधों की संख्या को घटाया व बढ़ाया भी जा सकता है।
8. ठेकेदार व उसके श्रमिक कार्य करते समय फार्म की सम्पति कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, अगर ऐसा होता है तो इसकी भरपाई ठेकेदार से कर ली जावेगी।
9. फार्म निदेशक बिना कारण बताये किसी भी निविदा को निरस्त कर सकता है।
10. अगर कोई ठेकेदार कार्य को बीच में अधूरा छोड़कर जाता है तो इस कार्य को द्वितीय ठेकेदार से करवा लिया जावेगा। अगर इस पर फार्म को कोई क्षति होती है तो इसकी भरपाई प्रथम ठेकेदार से कर ली जावेगी। कार्य आदेश मिलने पर पौधे लगाने का कार्य 60 दिन में पूर्ण करना होगा।
11. ठेकेदार को रुपये 100/- के स्टाम्प पेपर पर अनुबंध करना होगा जो ठेकेदार स्वयं खरीद कर लाएगा। यह स्वीकृति आदेश मिलने के 7 दिन के अंदर अनुबंध करना होगा, तदोपरांत कार्य आदेश जारी किया जायेगा।
12. दीमक का प्रकोप होने पर फार्म द्वारा उपलब्ध किये जाने वाले रसायन को पौधों में देने का कार्य ठेकेदार द्वारा ही किया जायेगा, जिसका अलग से भुगतान नहीं किया जायेगा।
13. **ARBITRATION**

In case any dispute arises between NSC and the other party due to any term or matter, both the parties will opt to resolve it through mutual understanding and discussion. In case, dispute remains even after discussion. Then it shall be binding upon parties to resolve issue under the provisions of Arbitration & Conciliation Act, 1996 as amended from time to time under this provision, the chairman-cum-Managing Director, National Seeds Corporation Limited with the concurrence of both the parties shall appoint sole Arbitrator to resolve the issue and both the parties will have to abide by decision. The parties will bind to resolve this dispute through arbitration before going to court of law. The arbitration shall be conducted at New Delhi and shall in English Language. The Court of Delhi shall have the Jurisdiction.

निविदादाता के हस्ताक्षर